तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० 03/2022 महेश वगै० बनाम राजस्थान सरकार	नम्बर व... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी...
9/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 03/2022

1. महेश पुत्र हरप्रसाद
2. मीना पत्नि महेश जातियान कुशवाह निवासी तिघर्रा तहसील रूपवास

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

दिनांकः—12.05.2025

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजी का पुराना खसरा 150/6 रकवा 10 बीघा 08 विस्वा बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन में स्थित है। जिस आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर 311 हाल बन्दोवस्त किया गया है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्बर मूल 150 था उक्त आराजी के सहखातेदारान के मध्य आराजी का विभाजन पूर्व में ही राजस्व रिकार्ड में हो चुका था और प्रार्थीगण को उक्त आराजी में रकवा 10 बीघा 08 विस्वा प्राप्त हुआ था उसी पूर्व विभाजन के अनुसार आज भी मौके राजस्व रिकार्ड के मुताबिक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 311 हाल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये सर्वे में दर्ज व अंकन किया गया है लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये भू बन्दोबस्त में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 311 को हाल नक्शा गट्ठा में क्षेत्रफल वास्तबिक रकवा 10 बीघा 08 विस्वा के स्थान पर 8 बीघा 10 विस्वा कम कर दिया गया है तथा नक्शा गट्ठा के सर्वे नक्शा से स्केल से पैमाईश करने पर उक्त आराजी का क्षेत्रफल रकवा 8 बीघा 10 विस्वा को गलत रूप से दर्ज व अंकन कर दिया गया जो कि खिलाफ मौके राजस्व रिकार्ड व कानून के कर दिया है जबकि सर्वे नक्शा में भी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्केल से क्षेत्रफल 10बीघा 08 विस्वा यानि 1.68 हेक्टेयर की दुरूस्ती किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त आराजी पर पुराना खसरा नम्बर 150/6 रकवा 10 बीघा 08 विस्वा के अनुसार नये खसरा नम्बर 311 पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी के खसरा नम्बर 150/6 हाल नये ख0नं0 311 का नक्शा गट्ठा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 03/2022

1. महेश पुत्र हरप्रसाद
2. मीना पत्नि महेश जातियान कुशवाह निवासी तिघर्रा तहसील रूपवास

.....प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—12.05.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजी का पुराना खसरा 150/6 रकवा 10 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन में स्थित है। जिस आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर 311 हाल बन्दोवस्त किया गया है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्बर मूल 150 था उक्त आराजी के सहखातेदारान के मध्य आराजी का विभाजन पूर्व में ही राजस्व रिकार्ड में हो चुका था और प्रार्थीगण को उक्त आराजी में रकवा 10 बीघा 08 विस्वा प्राप्त हुआ था उसी पूर्व विभाजन के अनुसार आज भी मौके राजस्व रिकार्ड के मुताविक हिस्सा पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 311 हाल भू प्रवन्ध विभाग द्वारा किये सर्वे में दर्ज व अंकन किया गया है लेकिन भू प्रवन्ध विभाग द्वारा किये गये भू बन्दोबस्त में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 311 को हाल नक्शा गट्ठा में क्षेत्रफल वास्तविक रकवा 10 बीघा 08 विस्वा के स्थान पर 8 बीघा 10 विस्वा कम कर दिया गया है तथा नक्शा गट्ठा के सर्वे नक्शा से स्केल से पैमाईश करने पर उक्त आराजी का क्षेत्रफल रकवा 8 बीघा 10 विस्वा को गलत रूप से दर्ज व अंकन कर दिया गया जो कि खिलाफ मौके राजस्व रिकार्ड व कानून के कर दिया है जबकि सर्वे नक्शा में भी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्केल से क्षेत्रफल 10बीघा 08 विस्वा यानि 1.68 हेक्टेयर की दुरूस्ती किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त आराजी पर पुराना खसरा नम्बर 150/6 रकवा 10 बीघा 08 विस्वा के अनुसार नये खसरा नम्बर 311 पर मौके पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी के खसरा नम्बर 150/6 हाल नये ख0नं0 311 का नक्शा गट्ठा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

में गलत व अशुद्धि होने की जानकारी दिनांक 27.07.2022 को हुई। जिसकी शुद्धि बावत् प्रार्थीगण द्वारा जब तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सिकरौदा में जमाबंदी संवत् 2075–78 में ख.नं. 311 रकवा 1.68है0 महेश पुत्र हरप्रसाद हि. 1/2 मीना पत्नि महेश हि. 1/2 कौम काछी(कुशवाह) सा. तिघर्रा खातेदार दर्ज है, जिसका साविक नम्बर 150 मिन रकवा 10बीघा 08 विस्वा है। उपर्युक्त खसरा नम्बर 311 नक्शा शीट में अंकित है। दावा में दिये गये ख.नं. 311 के आसपास के 10–15 खसरा नम्बरान की रकवा बरावरी की गई तो पाया गया कि कुछ खसरे स्वयं के रकबे की पूर्ति करते है एवं कुछ स्वंय की रकवा पूर्ति नहीं कर पा रहे है। अतः ऐसी स्थिति में यदि उक्त खसरा नम्बर 311 का रकबा नक्शे में पूरा किया जाता है तो सम्पूर्ण मौजा (ग्राम) का देह (रकवा/क्षेत्रफल) हिलता है, जिसमें पटवार स्तर पर शुद्धि प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 150/6 रकवा 10 बीघा 08 विस्वा है जिसका हाल खसरा नम्बर 311 बना उक्त आराजी का रकवा रिकार्ड में पूरा है परन्तु मौके पर कम है। राजस्व नक्शे को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं जवाव तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के जबाव से स्पष्ट है कि ख.नं. 311 के आसपास के 10–15 खसरा नम्बरान की रकवा बरावरी की गई तो पाया गया कि कुछ खसरे स्वयं के रकबे की पूर्ति करते है एवं कुछ स्वंय की रकवा पूर्ति नहीं कर पा रहे है। अतः ऐसी स्थिति में यदि उक्त खसरा नम्बर 311 का रकबा नक्शे में पूरा किया जाता है तो सम्पूर्ण मौजा (ग्राम) का देह (रकवा/क्षेत्रफल) हिलता है, जिसमें पटवार स्तर पर शुद्धि प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर